

सेबी ने वदिशों में शेयरों को सूचीबद्ध करने के लिये विशेषज्ञ समिति गठित की

चर्चा में क्यों?

भारतीय शेयर बाज़ार नियामक सेबी घरेलू कंपनियों को वदिश में अपने शेयर सूचीबद्ध कराने की इज़ाज़त दे सकता है। उसने वदिश में लसिटगि के नियमों का खाका तैयार करने के लिये एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया है। पैनल की सफ़ारिश लागू होने के बाद घरेलू कंपनियों वदिशी स्टॉक एक्सचेंजों में अपने शेयर सूचीबद्ध करा सकेंगी।

महत्त्वपूर्ण बंदि

- मौजूदा नियम के अनुसार, भारत में नगिमति कंपनियों के इक्विटी शेयरों का कारोबार वदिशी स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध नहीं हो सकता। इसी तरह वदिशों में नगिमति कंपनियों के इक्विटी शेयरों की खरीद-फरोख्त भारतीय शेयर बाज़ार में नहीं की जा सकती।
- सेबी का कहना है कि पूंजी बाजारों के विकास एवं अंतरराष्ट्रीयकरण को देखते हुए भारत में गठित कंपनियों को सीधे वदिशों में अपने शेयर सूचीबद्ध कराने तथा वदिशी कंपनियों को भारतीय शेयर बाजारों में सूचीबद्धता की सुविधा देने का वचिार पूरणतः युक्तसिंगत है।
- वर्तमान में, भारत में नगिमति कंपनियों अमेरिकी डपिऑजिटरी रसिीप्ट या ग्लोबल डपिऑजिटरी रसिीप्ट के माध्यम से वदिशों में सूचीबद्ध हो सकती हैं।
- इसी प्रकार, भारतीय एक्सचेंजों पर व्पापार करने की इच्छा रखने वाली वदिशी कंपनियों को भारतीय डपिऑजिटरी रसिीप्ट के माध्यम से सूचीबद्ध होना ज़रूरी है।
- पूंजी बाजार के विकास और उसके ग्लोबल बनने के मद्देनजर, यह माना जा रहा है कि भारतीय कंपनियों को वदिशी शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने का अवसर दिया जाए और वदिशी कंपनियों को भी भारत में ऐसा ही मौका मलि।
- अब तक नियामक और सरकार भारतीय कंपनियों को वदिशों में सूचीबद्ध करने की अनुमति देने के लिये अनचिछुक रही है, इस बात पर चिता जताई गई है कि पूंजी देश छोड़ देगी, घरेलू प्राथमकि बाजार कम हो जाएगा और कंपनियों अपनी नियामक परधि से बाहर जा सकती हैं।
- अब तक नियामक एक ही पहलू पर गौर कर रहा था कि इससे भारत पूंजी खो सकता है, लेकिन अब एक नई सोच के अनुसार, इससे वदिशों में भारतीय कंपनियों की प्रतभिा को प्रदर्शति करने और भारत में अच्छी गुणवत्ता वाली वदिशी कंपनियों को आकर्षति करने का अवसर मलिगा।
- इससे भारत को प्रत्यक्ष लसिटगि व्यवस्था के लिये पारस्परकि कषेत्राधिकारों तक पहुँचने की आवश्यकता होगी। अतः उन अधिकार कषेत्र में नियामकीय संशोधन की भी आवश्यकता होगी।
- यह फायदेमंद होगा यदि कुछ वदिशी स्टॉक एक्सचेंजों में प्रभावी मूल्य खोज, लचीले लसिटगि नियम, उच्च तरलता आईपीओ करने के लिये कम लागत के साथ होता है।
- 2014 में सरकार ने असूचीबद्ध भारतीय कंपनियों को वदिशी प्रत्यक्ष नविश (FDI) नीति में संशोधन के माध्यम से शुरु में दो साल की अवधि के लिये भारत में सूचीबद्ध किये बनिा वदिशों में पूंजी जुटाने की इज़ाजत दे दी थी, लेकिन इस योजना में कुछ ही लोग शामिल थे।
- यह सदिधांत रूप में एक अच्छा प्रस्ताव है क्योंकि इसमें भारतीय कंपनियों के लिये धन उगाहने के मार्गों को बढ़ाने की कषमता है।
- यह बाजार को और अधिक प्रतसिर्द्धी बना सकता है क्योंकि वदिशी कंपनियों भारतीय एक्सचेंजों पर सीधे पूंजी जुटा सकती हैं और कुछ भारतीय कंपनियों जनिहोंने अपनी वदिशी संस्थाओं को पूंजी जुटाने के लिये सूचीबद्ध कया है, उनके पास वकिल्प होगा।

9 सदस्यीय समिति का गठन

- सेबी ने इस कदम के आर्थकि, कानूनी, नियामकीय प्रभावों की जाँच और उपयुक्त ढाँचे की सफ़ारिश करने के लिये नौ सदस्यीय समिति बनाई है।
- समिति में शामिल हैं- रेनु वोहरा (सह-संस्थापक, प्रबंध नदिशक और सीईओ, एवेंडस कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड), सरिलि एस शर्ॉफ (प्रबंध भागीदार, अमरचंद मंगलदास), कमल यादव (प्रबंध नदिशक, मॉर्गन स्टैनली प्रौद्योगिकी, मीडिया और टेलीकॉम बैंकिग), एस रमेश (प्रबंध नदिशक और सीईओ, कोटक इनवेस्टमेंट बैंकिग), नीरज भारगव (वरषिठ प्रबंध नदिशक और सीईओ, जोडयिस कैपिटल एडवाइज़र्स), दीप कालरा (अध्यक्ष और गुरुप सीईओ, MakeMyTrip.com), राजीव गुप्ता (पार्टनर, सगिापुर लथम और वाटकसि एलएलपी), जमील खतरी (लेखा सलाहकार सेवाओं के वैश्वकि प्रमुख, केपीएमजी एलएलपी) और सुजीत प्रसाद (कार्यकारी नदिशक, सेबी और संयोजक)।
- अलग-अलग बाजार नियामकों ने मौजूदा संस्थागत ट्रेडिंग प्लेटफार्म (ITP) ढाँचे की देखभाल के लिये एक समूह गठित कया है और स्टार्टअप की सूची को सुवधाजनक बनाने के उपायों पर सुझाव दिया है।
- समूह वर्तमान संदर्भ में आईटीपी ढाँचे की समीक्षा करेगा, वर्तमान आईटीपी ढाँचे पर फरि से वचिार करेगा तथा कषेत्रों की पहचान करेगा (यदि कोई है, जिसके लिये और परिवर्तन की आवश्यकता है)।
- समूह एक महीने में सेबी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

